

ए०के० श्रीवास्तव
निदेशक (वाणिज्य)



पत्रांक: /मु०अ०(वाणिज्य)/ सी०य०-दो /ओ०टी०एस० / २०१९-२०

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)

शक्ति भवन, १४- अशोक मार्ग, लखनऊ -०१

ई-मेल—directorcomm@uppcl.org

दूरभाष : ०५२२-२२८७८६८, फैक्स सं०: ०५२२-२२८७८३४

CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

दिनांक: नवम्बर, १८, २०१९

विषय— ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल०एम०वी०-१ (अधिकतम ४ किलो वाट के विद्युत भार तक) दर श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये लागू “आसान किश्त योजना” के सम्बन्ध में।

ई-मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लिंग
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदय,

कृपया प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के पत्रांक 105/मु०अ०(वाणिज्य)/ सी०य०-दो /ओ०टी०एस०/ २०१९-२० दिनांक: 10.11.2019 द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल०एम०वी०-१ (अधिकतम ४ किलो वाट के विद्युत भार तक) दर श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये लागू “आसान किश्त योजना” का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के साथ संलग्न ‘आसान किश्त योजना’ का पूर्ण विवरण के सम्बन्ध में आपसे हुई चर्चा के दृष्टिगत उक्त विवरण में निम्नलिखित अतिरिक्त बिन्दुओं को भी एतद्वारा समाहित किया जाता है :-

12. ऐसे उपभोक्ता, जिनको विद्युत बिल बकाया की वसूली हेतु धारा 5 का नोटिस पूर्व में निर्गत हो चुका है, वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
13. इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अहं होंगे। उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगे। वितरण निगम द्वारा निर्गत संशोधित बीजक की देय धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त ही सम्बन्धित बीजक में अंकित ब्याज की राशि मॉफ मानी जायेगी अन्यथा सम्पूर्ण बीजक की राशि ही बकाया रहेगी।
14. इस योजना के अन्तर्गत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अहं होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमिता पाये जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है, परन्तु उ०प्र० शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नहीं रहेगी।

योजना की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

(ए०के० श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्र संख्या: १५१३ /मु०अ०(वा० एवं ऊल००)सी०य०-दो/ तद दिनांक:- १८/११/२०१९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(ए०के० श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)